उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या- 79/2025/1107/छप्पन-2025-31/2016(Stage-2ए)

लखनऊ; दिनांक: 27 अगस्त, 2025

अधिसूचना

शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी गजट दिनांक 11 अप्रैल, 2025 में प्रकाशित नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-2 व स्टेज-2/फेज-3) के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित 14 ग्रामों की भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन अधिनियम-2013 की धारा-11(1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-43/2025/508/छप्पन-2025-31/2016 (स्टेज-2ए) दिनांक 11 अप्रैल, 2025 में आंशिक संशोधन करते हुए शुद्ध विवरण निम्न प्रकार पढ़ा जाए:-

1. राजस्व ग्राम-बनवारीवास का अर्जन हेतु प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 84.7945 हैक्टेयर के स्थान पर 84.8635 हैक्टेयर पढ़ा जाये।

2. राजस्व ग्राम-जेवर बांगर का अर्जन हेतु प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 63.0722 हैक्टेयर के स्थान पर 63.1197 हैक्टेयर पढ़ा जाये।

3. परियोजना हेतु वांछित कुल क्षेत्रफल 1857.7706 हैक्टेयर के स्थान पर 1857.8871 हैक्टेयर पढ़ा जाये।

आज्ञा से,
संजय प्रसाद
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
NAGARIK UDDAYAN ANUBHAG

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 79/2025/1107/chhappan-2025-31/2016(Stage-2A), dated 27 August, 2025.

Notifcation

Corrigendum

No. 79/2025/1107/chhappan-2025-31/2016(Stage-2A),

LUCKNOW; DATED: 27 August, 2025

In partial modification in Notification No. 43/2025/508/Chhappan-2025-31/2016(Stage-2A) dated 11.04.2025 under Section-11(1) of the Land Acquisition Act-2013 regarding the land of 14 villages proposed for acquisition for the expansion (Stage-2/Phase-2 and Stage-2/Phase-3) of Noida International Airport Jewar, published by the Government of Uttar Pradesh in the Official Gazette dated 11th April, 2025, the correct statement should be read as follows-

1. The total area proposed for acquisition of Revenue Village-Banwaribas should be read as 84.8635 hectares instead of 84.7945 hectares.
2. The total area proposed for acquisition of Revenue Village-Jewar Banger should be read as 63.1197 hectares instead of 63.0722 hectares.
3. The total area required for the project should be read as 1857.8871 hectares instead of 1857.7706 hectares.

By order,
Sanjay Prasad
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।